500 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रूपये FIVE HUNDRED RUPEES

स्टाम्प इयुटी रूपये ६३७-०० इन्दौर नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत बाम्बे आगरा रोड
कारपो इयुटी रूपये १८२-०० यहां पर स्थित विजय नगर कालोनी यहां पर रोड नं.
पंचायत इयुटी रूपये ९१-०० १७ मे प्लाट नम्बर ३५१ पर बना हुवा म्यु.पा.नं.१०
रूपये ९१०-०० का मकान, बाजार मुल्य रूपये ९०५०) रूपये)

श्री मालव सहकारी गृह निर्माण सहकारी संस्था इन्दौर

रजिस्ट्र क्रमांक डी। बार। बाय.डी.आर.७० दि.१५-६-६५

प्लाट व उसमे बने हुवे मकान का विक्रीखत किमंत रूपये ९०५०)

Judicial Magistrate First Class INDORE (M.P.)

प्लाट व उसमे बने हुवे मकान का विक्रीखत रूपये देकर लिखवालेने वाले श्री. हरी पिता श्री. रामकृष्णजी निवासी विजय नगर १०।१७ इन्दौर, इन्हीसे रूपये लेकर यह प्लाट व उसमे बने हुवे मकान का विक्रीखत लिख देने वाले श्री. मालव सहकारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित विजय नगर इन्दौर, तर्फे अध्यक्ष श्री. गणपतराव पिता श्री. दौलतरावजी धनवट, यह विक्रीखत लिख देते हैं कि -:

(१) यह कि विक्रेता यह एक रजिस्टर्ड संस्था हैं। व क्रेता उसके सभासद है व जिसका सदस्यता क्रमांक ७७५ हैं। विक्रेता ने शहर इन्दौर के विजय नगर यहां पर की जमीन खरीद करके उसमे शासन के आदेशानुसार प्लाट निकाले हैं। व उस पर शासन से कर्ज लेकर मकानों का निर्माण किया हैं। उस पैकि विजय नगर कालोनी यहां पर रोड नम्बर १७ मे प्लाट नम्बर ३५१ पर बना हुवा म्युनसीपाल्टी नम्बर - १० का मकान विक्रेता ने आप क्रेता को किमंत रूपये ९०५०) नौ हजार पचास रूपये मे विक्री कर दिया हैं। उस विक्री किये हुवे मकान का वर्णन व चतु:सीमा निचे लिखे मुताबिक हैं।

नगर शिल्पज्ञ
न. पा. नि. इं.

एम. एम. खान
स्टॉम्प वेण्डर
जिला कोर्ट कम्पाउण्ड, इन्दौर

[illegible]

उनका पता।

[illegible]

... मुद्रांक शुल्क 6372.00
नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क 1820.00
... अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क 910.00
अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क रु. ....

9102.00

[illegible]

200 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२०० रु. Rs 200

सत्यमेव जयते

भारत

दो सौ रुपये TWO HUNDRED RUPEES

-२-

(२) मकान शहर इन्दौर के विजय नगर कालोनी यहां पर रोड नम्बर १७ मै प्लाट नम्बर ३५१ पर बना हुवा म्युनसीपाल्टी नम्बर १० का एक मजली पुर्व मुखी बना हुवा हैं। इस मकान को निकास पुर्व तरफ से हैं। इस मकान मै एक व्हराण्डा ६ बाय ६ का बना हुवा हैं। व एक रूम १२ बाय ६ का बना हुवा हैं। व एक किचन रूम ७ बाय ६ का बना हुवा हैं। इस मकान के पुर्व पश्चिम व दक्षिण तीनो तरफ खुली जमीन हैं। सदरहु मकाब सन १६७२ मै बना हुवा हैं। सदरहु मकान का कब्जा विक्रेता ने क्रेता को दिनांक २६-६-७६ को दिया हैं। इस प्लाट व उसमे बने हुवे मकान की पुर्व पश्चिम लम्बाई फुट ६० साठ होकर दक्षिण उत्तर चौडाई फुट २५ पच्चीस फुट हैं। सदरहु मकान के उपर सिमेंट पद्दर की छत डली हुई हैं। इस मकान की चतु:सीमा निचे लिखे मुताबिक हैं।

पुर्व को -: सडक।

पश्चिम को -: गली।

दक्षिण को -: मकान नम्बर ६।१७।

उत्तर को -: मकान नम्बर ११।१७।

(३) यह कि उपर लिखे मुताबिक चतु:सीमा के बिच का मकान सब बन्धा व खुल्ला आगे से पिछे तक व उपर से निचे तक मय निचे की तल जमीन सहित हमने आपको किमंत रूपये ६०५०) नौ हजार पचास रूपये मै विक्री कर दिया हैं। उस विक्री किये हुवे मकान के किमंत के चुकते रूपये ६०५०) नौ हजार पचास रूपये हम आपकी तरफ से निचे लिखे मुताबिक लैकर भरपाये हैं।

---३

२८७८६
२८७३८६

२००।

गनपतराव दौलतराव धनवटे
५/२३ विजय नगर इन्दौर
अध्यक्ष
श्री मालवा सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्या.

जिला इन्दौर के उप-पंजीयक के
कार्यालय में तारीख ... 198...
को ... पूर्वाह्न/अ० पर ... प्रस्तुत किया गया है।

उप-पंजीयक
इन्दौर

गनपतराव दौलतराव धनवटे
५/२३ विजय नगर इन्दौर
अध्यक्ष
श्री मालवा सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्या.

एम. एम. खान
स्टॉम्प वेण्डर
जिला कोर्ट कम्पाउण्ड, इन्दौर

गनपतराव दौलतराव धनवटे
५/२३ विजय नगर इन्दौर
अध्यक्ष
श्री मालवा सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्या.

... स्वीकार करते हैं कि ... किया गया था और प्रतिफल के
पूरे/आंशिक रु० .... प्राप्त हो गये।
तथा रु० ....
मेरी उपस्थिति में चुकाये गये हैं
और प्रतिफल की बकाया रकम
तथा रु० .... बाद की है
रजीस्ट्रेशन के बाद प्राप्त होगी।

उप-पंजीयक,
इन्दौर.

200Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२०० रु. Rs 200

सत्यमेव जयते

भारत

दो सौ रुपये TWO HUNDRED RUPEES

१६७५) रूपये एक हजार छै सौ पिचोहत्तर रूपये शासन की ओर से अनुदान मिला वह मुजरा दिये ।

७३७५) रूपये सात हजार तीन सौ पिचोहत्तर रूपये आपने कार्यालय मै किश्तों मै जमा करवावे वह ।

९०५०)

----

(४) यह कि सदरहु मकान के किमंत के चुकते रूपये ९०५०) रूपये हम आपकी तरफ से उपर लिखे मुताबिक लेकर भरपाये हैं। अब आपकी तरफ बाकी लेना कुछ भी शेष रहा नही हैं ।

(५) यह कि उपर लिखा हुवा कुल मकान हमने सन १९७६ मै ही आपके कब्जे मै दे दिया हैं ।

(६) यह कि सदरहु मकान हमने आपको विक्री कर देने से इसके मालकी के जो जो हक्क हमको थे, वह सब हक्करद्द होकर आपको इस विक्रीखत के जर्ये मकान के मालकी के पूर्ण हक्क प्राप्त हो गये हैं । अब आपने सदरहु मकान पर मालकी करके उसका उपभोग आपने आपके ईच्छानुसार हमेशा लेते जाना ।

(७) यह कि यह सं-व्यवहार संस्था के कारोभार से सम्बन्धीत हैं ।

(८) कोई भी सदस्य स्वंय की सदस्यता समाप्त कराए शिवाय इस मकान को भी गिरवी, दान या बक्षिस या हस्तातंरण नही कर सकेगें।

(९) संस्था के जो भी नियम या उपनियम हैं । या भविष्य मे लागू होगें । अथवा शासन की ओर से संशोधित किये जावेगें । वह सदस्य को मान्य रहेगें ।

(१०) यह कि संस्था की ओर से जो भी चंदा या शुल्क कालोनी के विकास के लिए लगाए जावेगें । वह सदस्य को देना होगा ।

Ghanwat 4.8

गजानन [illegible] धनवट
५/२३ वेणा नगर इन्दौर

श्री मालवा [illegible]

---४

२००/

एम. एम. स्वान
स्टॉम्प वेण्डर
जिला कोर्ट कम्पाउण्ड, इन्दौर

गनपतराव दौलतराव धनवटे
५/२३ विजय नगर इन्दौर
अध्यक्ष
श्री मालवा सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्या.

का निष्पादन मेरे समक्ष ... को किया गया ।

10 Rs.

-४-

(११) सदर प्लाट पर शासन का वार्षिक भु-राजस्व आज तक का संस्था ने जमा कर दिया हैं। शासन मे आप अपना नाम दर्ज करा लेना। और नियमीत रूप से शुल्क जमा करते जाना।

(१२) यह कि मकान का विक्रीखत संस्था के द्वारा नियुक्त अध्यक्ष ने लिखा हैं।

(१३) यह कि विक्रेता पक्ष व क्रेता पक्ष ने दी अरबन सिलींग एक्ट एन्ड रेग्युलेशन सन १९७६ के किसी भी प्रावंधान का उल्लंघन किया नही हैं। इसमे नगर भुमि सीमा अधिनियम सन १९७६ के धारा २०(१) के अन्तर्गत घोषणा पत्र प्रस्तुत हैं।

यह मकान का विक्रीखत हमने हमारी राजी खुशी से होश व हवास मे नशा पानी न करते लिख दिया सो सही। और आवश्यकता पडने पर काम आवे।

इन्दौर। इति दिनांक -: २१।७।१९८४ [illegible]

साक्षी — सही विक्रेता

१. [signature] धरमचन्द जैन ६२, नन्दनवन कॉलोनी इन्दौर

२. [signature] [illegible] ४१२८ विजय नगर इन्दौर

Ghanwat G.D.
गनपतराव दे. [illegible] धनवट
५/२३ विजय नगर इन्दौर
अध्यक्ष
श्री मालवा सहकारी गृह निर्माण संस्था [illegible]

(१) [illegible]
(२) [illegible]
(३) [illegible] सब
(४) [illegible] म श्री [illegible]
(५) [illegible]
(६) [illegible] दस रु. पैसे
[signature]
कर संग्राहक के हस्ताक्षर

एम. [illegible]
स्टाम्प [illegible]
जिला कोर्ट [illegible] इन्दौर

[illegible] ... पृष्ठ ...
[illegible] को पुस्तक क्रमांक ...
[illegible] ... के ... [illegible]
... क्रमांक ...
[illegible] किया गया।

उप-पंजीयक
इन्दौर

THE SEAL OF THE SUB-REGISTRAR [illegible] M.P.
उप-पंजीयक [illegible]